



राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

NATIONAL COUNCIL FOR HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY

(An Autonomous body under Ministry of Tourism, Govt. of India)

A-34, सेक्टर 62, नोएडा - 201309 (उत्तर प्रदेश)

टेलि/टेल: 0120-2590600-623 ई-मेल: nchmctadmn@gmail.com वेबसाइट/Website: www.nchmct.ac.in

अतुल्य! भारत

Incredible India

AF 33(09)2021/NC

1640 से 218

दिनांक : 21.09.2021

सेवा में,

प्राचार्य

सभी केंद्रीय होटल प्रबंध संस्थान, राज्य होटल प्रबंध संस्थान, PSU होटल प्रबंध संस्थान एवं निजी होटल प्रबंध संस्थान

विषय: अवशिष्ट शेष सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति के संदर्भ में।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि NCHMJEE 2021 में नामांकन बहुत ही कम था और लगभग 12,400 उम्मीदवार ही केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य हुए। इसके अलावा, काउंसलिंग के पहले दौर में नामांकन को देखते हुए, परिषद् के सक्षम प्राधिकारी जी ने संस्थान को सीधे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने की स्वीकृति दी है। जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, प्रक्रिया शुरू करने के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

- 1) आपके संदर्भ के लिए एक मानक विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न है। वे संस्थान जो बीएससी HHA काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीटों की पूर्ति न होने की उम्मीद कर रहे हैं, वे सीधे प्रवेश हेतु मसौदा विज्ञापन के माध्यम से एक पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन का खाका इस तरह से डिजाइन किया गया है कि NCHMJEE की शुचिता बरकरार रहे। इसलिए विज्ञापन सख्ती से उन्हीं पंक्तियों पर किया जाना चाहिए।
- 2) परिषद् के सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे संस्थानों को अनुमति दी है, जो केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीटों की पूर्ति न होने की उम्मीद कर रहे हैं और सीधे प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु 12वीं की परीक्षा में कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार की जाएं। प्रथम राउंड के स्तर पर प्रवेश की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए क्योंकि रिक्त सीटों की संख्या अभी तक निश्चित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी का निवेदन है कि प्रवेश की पुष्टि काउंसलिंग के तीसरे दौर पूरे होने के बाद ही की जाए। यह भी ध्यान दिया जाए कि केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या और सीधे प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या संस्थान के स्वीकृत Intake of Seats (वास्तविक सीट + 5% अतिरिक्त) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3) परिषद् के सक्षम प्राधिकारी ने आगे यह भी मंजूरी दी है कि विशेष रूप से इस वर्ष के लिए, शेष खाली सीटों के तहत सीधे प्रवेश के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड का पालन किया जाना चाहिए:
 - i) 12वीं या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण (सर्वोत्तम 5 विषयों) के साथ: सामान्य श्रेणी/ सामान्य -इंडबन्यूएस / ओबीसी के लिए कुल 45% अंक, एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PwD उम्मीदवारों के लिए 40% अंक तक के ले सकते हैं।
 - ii) 12वीं स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है और इस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
 - iii) आयु - सामान्य, सामान्य (आर्थिक पिछड़ा वर्ग): और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 25 वर्ष; और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PwD उम्मीदवारों के लिए 28 वर्ष।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार प्रक्रिया शुरू करने की कृपा करें।

भवदीय

(एल.के.गाम्गुली)

निदेशक (प्र.एव वित्त)





राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध एवं कैंटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद
(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)
**NATIONAL COUNCIL FOR HOTEL MANAGEMENT AND
CATERING TECHNOLOGY**

(An Autonomous body under Ministry of Tourism, Govt. of India)

A-34, सेक्टर 62, नोएडा - 201309 (उत्तर प्रदेश)

टेलि/टेल: 0120-2590600-623 ई-मेल: nchmctadmn@gmail.com वेबसाइट/Website: www.nchm.nic.in

अतुल्य! भारत
Incredible India

AF 33(09)/2021/NC

640 वर 718

Dated : 21st September, 2021

To,

The Principal
All CIHMs/SHMs/PSU IHM/Pvt. Institutes

Sub: Permission to start the process for direct admission against residual vacancies.

Sir/Madam,

With reference to the subject cited above, it is to inform you that enrollment into NCHMJEE 2021 was very less and as such only about 12,400 candidates got qualified for participating in the centralized counselling process. Further, seeing the enrollment in the first round of counselling, the competent authority of the Council conveyed the approval to permit the Institute to start the process of direct admission. As approved by the competent authority, the following instructions should be followed by the Institute towards starting the process:

- 1) A standard advertisement is attached herewith for your reference. The Institutes those who are expecting non-fulfillment of seats in B.Sc. HHA through centralized counselling process may start the process of making a panel for direct admission through the draft advertisement. The template of advertisement has been designed in a manner that the sanctity of NCHMJEE remains intact. Therefore, the advertisement should be done strictly on those lines only.
- 2) The competent authority of the Council has permitted such Institutes expecting non-fulfillment of seats through centralized counselling process for calling of applications and drawing of a merit list of the candidates applied for direct admission in the basis of aggregate marks in their 12th examination. Confirmation of admission should not be done at this stage since the number of seats remain vacant is not certain till date. The competent authority desired that the confirmation of admission should be done only after completion of 3 rounds of counselling. It may be noted that total number of students admitted through centralized counselling process and number of students admitted through direct admission process should not exceed the sanctioned intake of the Institute (original intake and not consisting of 5% extra).
- 3) The competent authority of the Council further approved that, particularly for this year, the following eligibility criteria should be followed for direct admission under the residual vacancies:
 - i) Pass in 12th or equivalent examination with aggregate 45% marks (best of 5 subjects) for General; General (EWS); and OBC candidates and 40% marks for SC; ST and PwD candidates.
 - ii) English is a compulsory subject in 12th level exam and passed in that subject.
 - iii) Age – 25 years for General; General (EWS) and OBC candidates and 28 years for SC; ST and PwD candidates.

You are requested to kindly start the process accordingly.

Yours faithfully,

(L.K.GANGULI)
Director (A&F)

